संख्या-3-ई. एम. /2001-का-4-2002

प्रेषक,

डा0 हरि कृष्ण,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/ सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

कार्मिक अनुभाग-4,

लखनऊ: दिनांक : मार्च - 08 , 2002

विषय:- राज्य कर्मियों द्वारा की गयी हड़ताल के संबंध में ।

महोदय,

राज्य कर्मचारियों के एक वर्ग द्वारा दिनांक 20-12-2001 से दिनांक 26-12-2001 तक की गयी हड़ताल के संबंध में, सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा लिये गये निम्न निर्णयों से आपको अवगत कराने का मुझे निदेश हुआ है:-

(1) "कार्य नहीं तो वेतन नहीं" के सिद्धान्त के आधार पर हड़ताल में सम्मिलित कर्मियों को वेतन का भुगतान न किया जाय ।

(2) हड़ताल अवधि को सेवा में व्यवधान न माना जाय ।

(3) तोड़-फोड़ तथा अन्य अराजक कृत्यों में संलग्न कर्मचारियों को छोड़कर, अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध किसी प्रकार की उत्पीड़न की कार्यवाही न की जाय ।

2. उपर्युक्त निर्देशों का सभी स्तरों पर कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(डा0 हरि कृष्ण)
सचिव ।

संख्या-3-ई. एम. /2001(1)-का-4-2002, तद्दिनांक ।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश ।
2. समस्त मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश ।
3. सचिवालय के समस्त अनुभाग ।

आज्ञा से,

(डी0 के0 शर्मा)
विशेष सचिव ।